प्रेषक,

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,
खटीमा।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
राज्य अल्प संख्यक आयोग
उत्तराखण्ड ।

पत्रांक 58 / क्षे0ख0अ0 / विविध /2024–25,दिनांक –09.08.2024

विषय– श्री अनीस अहमद,पुत्र श्री सगीर अहमद ,निवासी –वार्ड न0–05 ,उमरूखुर्द,इस्लामनगर डाकघर खटीमा, ऊधम सिंह नगर की शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय आयोग उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक सख्या 646/उ.अ.आ /37–अनीस अहमद /ऊसिंहनगर/2024–25,दिनांक 07 अगस्त 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने क कष्ट करें जिसमें श्री अनीस अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद ,निवासी वार्ड न0–05 मे आख्या उपलब्ध करार जाने के निर्देश प्रदान किये गये है ,उक्त के कम में माननीय आयोग को सादर अवगत कराना है कि पूर्व मे प्रकरण के सम्बन्ध मे कोई भी पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त न होने के कारण पूर्व में कोइ कार्यवाही अमल मे नही लायी जा सकी । पुनः माननीय आयोग के पत्रांक सख्या 646 दिनाक 07 अगस्त 2024 जो इस कार्यालय को दिनांक 09.08.2024 को प्राप्त हुआ है पत्र प्राप्त होते ही सम्बंधित डाटा एट्री आपरेटर प्रवीन सिंह देव को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, डाटा एट्री आपरेटर श्री प्रवीन सिंह देव द्वारा तद्‌दिनांक अपना लिखित स्पष्टीकरण कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति सलग्न)जिस पर श्री प्रवीन सिंह देव द्वारा उस दिन के घटना कम से अवगत कराते हुये विश्वास दिलाया कि भविष्य में स्वय पर पूर्ण संयम रखते हुये किसी भी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति नही की जाएगी।

पुनःडाटा एट्री आपरेटर श्री प्रवीन सिंह देव को कडी चेतावनी जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि किसी भी दशा मे कार्यालय स्तर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उचित (सौहादपूर्ण) व्यवहार का अनुपालन किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण पर अधोहस्ताक्षरी माननीय आयोग को पूर्ण विश्वास दिलाते है,कि भविष्य मे इस प्रकार का घटनाकम को किसी भी दशा मे पुनरावृत्ति नही होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

पूर्ति निरीक्षक,
खटीमा।

(धर्मेन्द्र सिंह धामी)
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी
खटीमा ।